न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 108/2012 तारीख रजू:— 26.02.2012
पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर
R.A.S.

तुईराम पुत्र रामचन्द जाति माली निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान —————————————— वादी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गुलाब जाति माली निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा आराजीयात

उपस्थित :— 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांक :— 8/9/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.07.2021 को दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 6754 रकबा 0.37 है0, 6755 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, 8118 रकबा 0.51 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी घनयाम पुत्र गुलाब हि0 1/2, तुईराम पुत्र रामचन्द हिस्सा 1/2 जाति माली निवासी ग्राम खातेदार काश्तकार घोषित किये गये तथा तहसीलदार हिण्डौन को 500/— रूपया फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये कि उक्त विवादित आराजीयात के मौके पर पहुॅचकर पक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार (भू—अभिलेख)हिण्डौन ने पत्रांक भू.अ./2025/2084 दिनांक 30.07.2025 से मुताविक प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

28.07.2021 की अनुपालना में बंटवारा स्कीम तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश की है।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बंटवारा स्कीम पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस बंटवारा स्कीम सही होना अवगत कराया है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। बंटवारा स्कीम दिनांक 30.07.2025 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 6754/1 रकबा 0.1850 है0, 8118/1 रकबा 0.2550 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 वाके कस्बा हिण्डौन वादी तुईराम पुत्र रामचन्द जाति माली सा0 ग्राम खातेदार के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 6754/2 रकबा 0.1850 है0, 8118/2 रकबा 0.2550 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 वाके कस्बा हिण्डौन प्रतिवादी घनश्याम पुत्र गुलाव जाति माली सा0 ग्राम खातेदार के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 6755 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 कुआ वादी तुईराम पुत्र रामचन्द हि0 1/2, प्रतिवादी घनश्याम पुत्र गुलाव हि0 1/2 जाति माली सा0 ग्राम खातेदार के हिस्से में यथावत रखा गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार हिण्डौन ने मुताविक प्राथमिक डिक्री के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार की है। जिसके अनुसार वादी का दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा आराजीयात तहसीलदार हिण्डौन से दिनांक 30.07.2025 को प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 6754/1 रकबा 0.1850 है0, 8118/1 रकबा 0.2550 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का वादी तुईराम पुत्र रामचन्द जाति माली निवासी हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 6754/2 रकबा 0.1850 है0, 8118/2 रकबा 0.2550 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 वाके कस्बा हिण्डौन प्रतिवादी घनश्याम पुत्र गुलाव जाति माली निवासी हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 6755 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 कुआ वाके कस्बा हिण्डौन का वादी तुईराम पुत्र रामचन्द हि0 1/2, प्रतिवादी घनश्याम पुत्र गुलाव हि0 1/2 जाति माली निवासी हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रहन मुर्तहिन का इन्द्राज प्रतिवादी घनश्याम के हिस्से में आयी सम्पूर्ण आराजी एवं खसरा नम्बर 6755 रकबा 0.01 है0 में हि0 1/2 पर रहेगा। बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय मय नक्शा ट्रेस व फाईनल डिक्री की प्रति के साथ तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/9/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली